


(iii) पर्यवेक्षण तथा उत्तरदायित्व के अनुक्रम में निर्णय लेने के दौरान प्रक्रिया-

पर्यवेक्षण तथा अनुक्रम का विवरण प्रदान करते हुए कंपनी की संगठनात्मक सारणी अनुलग्नक पर प्रदान की गई है।

समय-समय पर संशोधन अनुसार शक्तियों का प्रत्यायोजन (डीओपी), कंपनी के दैनिक मामलों के प्रभावकारी आयोजन के लिए कंपनी के विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा विभिन्न विषयों हेतु निर्णय/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पालन किया जाएगा।

निम्नलिखित अनुक्रम में कंपनी में निर्णय लेने की प्रक्रिया है:



कंपनी का पूर्ण प्रबंधन कंपनी के निदेशक-मंडल, कंपनी के भीतर उच्चतम निर्णय लेने वाले निकाय के हाथों में है।

निदेशक-मंडल कंपनी के शेयरधारकों के प्रति उत्तरदायी है, जो कंपनी के उच्चतम प्राधिकारी हैं। इस कंपनी के 51.5% इकिटी शेयर पूँजी भारत सरकार के पास है, नालको एक सरकारी कंपनी है। इसलिए, कंपनी का निदेशक-मंडल भारत सरकार के प्रति भी उत्तरदायी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कुछ विषयों पर आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन वांछित होते हैं। इसी प्रकार से, कंपनी की अंतर्नियमावली की शर्तों तथा लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित मामलों में भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन वांछित है।

निदेशक-मंडल की प्राथमिक भूमिका शेयरधारों का मूल्यवर्धन एवं विश्वास का संरक्षण करना है। निदेशक-मंडल कंपनी के रणनीतिक संचालन, निगम निष्पादन की समीक्षा, रणनीतिक निर्णय की अधिकृति एवं निगरानी, विनियामक अनुपालन की सुनिश्चित तथा शेयरधारकों के हितों के संरक्षण का निरीक्षण करती है। निदेशक-मंडल सुनिश्चित करता है कि कंपनी इस प्रकार संचालित हो जो शेयरधारकों की आकांक्षाओं तथा सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करे।



कंपनी का दैनिक प्रबंधन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के सुपुर्द है, जिन्हे कंपनी के प्रकार्यात्मक निदेशकों व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है।


निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित कार्य व क्षमता युक्त विविध समितियाँ भी गठित हैं।

अपने कार्यों के प्रभावकारी निष्पादन हेतु, निदेशक-मंडल, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान करता है। परिणामतः स्थिति विशेष के अंतर्गत प्रदत्त दायित्वों के त्वरित, प्रभावी और कुशल निर्वहन के लिए उचित नियंत्रण के तहत अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रकार्यात्मक निदेशकों एवं अन्य अधिकारियों को निर्धारित शक्तियाँ उप प्रत्यायोजित करते हैं। कंपनी के दैनिक मामलों के कुशल संचालन के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा निर्णय लेने/अनुमोदनों के लिए यथा समयवार संशोधित शक्तियों के प्रत्यायोजन (डीओपी) का पालन किया जाता है।

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, निदेशक मंडल के प्रति जवाबदेह हैं। प्रकार्यात्मक निदेशक, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के प्रति जवाबदेह हैं। अधिकारीगण संबंधित प्रकार्यात्मक निदेशक के प्रति जवाबदेह हैं।

नालको प्रत्येक वर्ष प्रशासनिक मंत्रालय, खान मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित करता है। वर्ष के लिए नालको तथा खान मंत्रालय, भारत सरकार के बीच सहमति लक्ष्य को इस समझौता ज्ञापन में प्रदर्शित किया जाता है। इस समझौता ज्ञापन को हमारी वेबसाईट के "निवेशक सेवाएं" पृष्ठ पर देखा जा सकता है।

नालको वर्तमान संस्थागत संरचना



टिप्पणी: मा.सं. - मानव संसाधन

परि. व तक. - परियोजना व तकनीकी

का.नि. - कार्यपालक निदेशक

**रिक्त - वर्तमान में, समूह महाप्रबंधक (वित्त) को कार्यपालक निदेशक (वित्त) की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

रिक्त